

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा  
(निर्णय बड़जलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 52/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप  
दायरा दिनांक: 15.12.2023  
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. देशराज उर्फ देवराज पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत
2. दशरथ पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम टारडा, तहसील अंता, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, अंता, जिला बारां

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री हरिओम चतुर्वेदी, अभिभाषक -अपीलार्थी  
पेरोकार सरकार - रेस्पोंड

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 11/2023 बउनवान देशराज वगैरे बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण संख्या 209/2023 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.02.2023 से अपीलार्थी को वाके ग्राम टारडा की सरकार भूमि किस्म गै0मु0 तालाब सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 981 की 0.32 है0 भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 160/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। खसरा सं0 981 गैरमुमकिन तालाब की भूमि से लगी हुई उत्तर में अपीलार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा सं0 980 रकबा 2.07 है0 की 23×210 हिस्सा आराजियात है, जिसे अपीलार्थीगण काश्त करते हैं। हल्का पटवारी ने मौके पर पैमाईश कर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

संभागीय आयुक्त  
कोटा संभाग, कोटा

इस पर अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरांत भी न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता के निर्णय दिनांक 06.02.2023 को यथावत रखने में त्रुटि की है। अपीलार्थी का खसरा सं० 981 किस्म गैरमुमकिन तालाब पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर कुछ भू-भाग खसरा सं० 980 की आराजी की सीमा में पाये जाने पर पैमाईश अनुसार खसरा सं० 970 की सीमा से पृथक कर छोड़ दिया है, वर्तमान में गै०मु० तालाब पर किसी भू-भाग पर कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो० परोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि खसरा सं० 981 गैरमुमकिन तालाब की भूमि से लगी हुई उत्तर में अपीलार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा सं० 980 रकबा 2.07 है० की 23×210 हिस्सा आराजियात है, जिसे अपीलार्थीगण काशत करते हैं। हल्का पटवारी ने मौके पर पैमाईश कर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। इस पर अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरांत भी न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता के निर्णय दिनांक 06.02.2023 को यथावत रखने में त्रुटि की है। अपीलार्थी का खसरा सं० 981 किस्म गैरमुमकिन तालाब पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर कुछ भू-भाग खसरा सं० 980 की आराजी की सीमा में पाये जाने पर पैमाईश अनुसार खसरा सं० 970 की सीमा से पृथक कर छोड़ दिया है, वर्तमान में गै०मु० तालाब पर किसी भू-भाग पर कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022(1) DNJ Raj. Page 517, 2022(1) DNJ Page 398 पेश किये।
- 4 रेस्पो० परोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो० परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण संख्या 209/2023 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.02.2023 से अपीलार्थी को वाके ग्राम टारडा की सरकार भूमि किस्म गै०मु० तालाब सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 981 की 0.32 है० भूमि पर फसल सरसों की काशत कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 160/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां

संभाषित आयुक्त  
बरेल संभ्रम, कोटा

के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि हल्का पटवारी ने मौके पर पैमाईश कर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। इस पर अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरांत भी न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता के निर्णय दिनांक 06.02.2023 को यथावत रखने में त्रुटि की है। अपीलार्थी का खसरा सं० 981 किस्म गैरमुमकिन तालाब पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर कुछ भू-भाग खसरा सं० 980 की आराजी की सीमा में पाये जाने पर पैमाईश अनुसार खसरा सं० 970 की सीमा से पृथक कर छोड़ दिया है, वर्तमान में गै०मु० तालाब पर किसी भू-भाग पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर कुछ भू-भाग खसरा सं० 980 की आराजी की सीमा में पाये जाने पर पैमाईश अनुसार खसरा सं० 970 की सीमा से पृथक कर छोड़ दिया है, वर्तमान में गै०मु० तालाब पर किसी भू-भाग पर कब्जा नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सम्वत् 2078 में अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं० 311 निर्णय दिनांक 25.03.2022 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने पर सम्वत् 2079 में खसरा सं० 981 की रकबा 0.32 है० पर पुनः अतिक्रमी होने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 06.02.2023 से 160/- रुपये शास्ति आरोपित करते हुए 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, किंतु उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2023 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा सम्वत् 2078 में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था तथा कितनी शास्ति आरोपित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 13.09.2023 अपास्त किया जाता है एवं न्यायालय नायब तहसीलदार, अंता के निर्णय दिनांक 06.02.2023 से अपीलार्थी की 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

- 6 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संभागीय आयुक्त  
कोटा